न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना
(जिला शस्त्र शाखा)
—: आदेश :—

16-04-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—9—10 / 2011 में आवेदक **श्री संतोष कुमार,** पिता—श्री शिवप्रसन्न सिंह, सा0—निसरपुरा, पो0—महमदपुर, थाना—विक्रम, जिला—पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर / पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि C.P.W.D. में **civil contractor** का कार्य करते हैं। पूर्व में उनके उपर कातिलाना हमला हुआ है, जिसकी खबर दिनांक—12.01.2010 को दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई थी। श्री कुमार के द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक—277 / गो0, दिनांक—01.04.2012 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रिवाल्वर / पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अधीनस्थ पदाधिकारियों के जाँचोपरान्त अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज द्वारा मूल में अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्ष 2010 में आवेदक के ऊपर अपराधकर्मियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, जो शास्त्रीनगर थाना कांड सं0—13 / 10, दिनांक—11.01.2010 धारा—307 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित है। आवेदक के जान—माल की सुरक्षा हेतु उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति दी जा सकती है। थानाध्यक्ष, विक्रम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को वर्ष 2010 में अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारी गयी थी। इस संदर्भ में शास्त्रीनगर थाना कांड सं0—13 / 10, दि0—11.01.2010, धारा—307 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय / खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0—V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक—31.03.2010 में निहित निर्देश

— 9 —

एवं आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों– के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री संतोष कुमार**, पिता–श्री शिवप्रसन्न सिंह, सा0–निसरपुरा, पो0–महमदपुर, थाना–विक्रम, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

D:\RANJIT KUMAR\Arms Branch\S.D.C. Letter\Arms Licence Order (ACCEPT).doc

— 10 — 9-10-2011

नोट शीट सं0

पूर्व पृष्ठ पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में प्राप्त आवेदन की प्रतिलिपि आवेदक एवं सम्बन्धित को आगे की कार्यवाही प्रारम्भ हेतु भेजी जाती है।

अवमानना की स्थिति में प्राप्त अवलोकनार्थ क्रमा।

अनुमोदनार्थ

प्राप्त
6/5/13
6/5/2013

ह0 निर्देश

कृपया उपयुक्त टिप्पणी

प्राप्त अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

16/05/13

6/5/13